Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 144/2020

श्री निशांत चुघ
पुत्र श्री दीवान चन्द चुघ
वार्ड नं. 07,बस स्टेण्ड के पास,
अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 19.10.2020
अपील में निर्णय की दिनांक 05.01.2021

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना समयावधि में उपलब्ध नही कराने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1140)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/447 दिनांक 07.12.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 07.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1.	निदेशक कार्य (भू.अ.) राजुवास, बीकानेर के अन्तर्गत संविदा पर जय बाबे री ट्रेडिंग कम्पनी को भवन निमार्ण कार्य आदेश संख्या 272–80 दिनांक 22.04.13 अनुबंध संख्या 23/13–14 के तहत कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटर फॉर यूज ऑफ स्पेस बेस टेक्नोलोजी इन एनिमल साइंस एण्ड वाइल्डलाईफ मैनेजमेंट एंड हेल्थ स्टडीज राजुवास बीकानेर में निमार्ण आदेश की कार्यालय पूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि।	बिन्दू संख्या 1 के संबंध में लेख है कि अनुबंध संख्या 23/2013–14 मैसर्स जय बाबेरी ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर निशांत चुघ द्वारा संपादित किया गया था। अनुबंध करते समय अनुबंध एवं "जी" शिडयूल की प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई। कार्य से संबंधित अन्य पत्राचार के प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रेषित है।
2.	उक्त वर्णित कार्य के लिए कुल माप की माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।	बिन्दू संख्या 2 के संबंध में लेख है कि उक्त वर्णित कार्य की माप पुस्तिका गोपनीय दस्तावेज होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। पूर्व में एम.बी. का अवलोकन आपको करवाया जा चुका है।
3.	उक्त वर्णित कार्य के कुल पारित बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	बिन्दू संख्या 3 के संबंध में लेख है कि वर्णित कार्य पेटे चार चालू बिलों जिनके द्वारा भुगतान किया गया है कि प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

4.	उक्त वर्णित कार्य के कुल पारित बिलों में विभिन्न मदों से काटी गयी राशि की सूचना प्रत्येक मद के लिए काटी या जमा की गयी कुल राशि/बिलवार तालिकाबद्ध/काटी गयी राशि की स्थिति की राशि विभाग के पास जमा है या आगे विभाग को जमा करवा दी गयी है।	बिन्दू संख्या 4 के संबंध में लेख है कि चार चालू बिलों में से राज्य सरकार के नियमानुसार आवश्यक कटौटियां–आयकर,बिक्रीकर, रॉयल्टी, श्रम कर संवेदक को भुगतान पश्चात संबंधित विभाग को भिजवा दी गई है।जिसका पूर्ण विवरण प्रत्येक बिल पर अंकित है।
5.	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7–ए(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण नाम पता फोन नं.।	बिन्दू संख्या 8 के संबंध में लेख है कि माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–144/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/455 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि लोकसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना अधूरी है। अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवायी जाएं। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना पत्र क्रमांक 447 दिनांक 07.12.2020 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी गई। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्धता एवं संधारण अनुसार आवेदक को दिलाया जाना न्यायोचित होगा। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना संधारण एवं उपलब्धता के आधार पर आवेदक/अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाए। आवेदक द्वारा वांछित सूचना की अनुपलब्धता एवं संधारित न होने की स्थिति में तद्नुसार आवेदक/अपीलार्थी को नियमानुसार प्रत्युत्तर प्रेषित किया जावे। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

5/1/21

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर